न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 218/25 (वाद)

GCMS NO. : 2025/465

अनवान

1. मोहनलाल जोशी पुत्र प्रभुलाल जी जाति ब्राह्मण, उग्र वयस्क, निवासी मकान संख्या 30, ब्राहाणो का गुड़ा बडगांव, उदयपुर शहर, जिला उदयपुर (राज०)
2. विवेक लवानिया पुत्र डॉ बी. के. लवानिया जाति ब्राह्मण, वयस्क, निवासी 327. चरक मार्ग अम्बामाता स्कीम गिर्वा, उदयपुर, जिला उदयपुर (राज०)

............वादी

बनाम्

1. मैसर्स महाकाल कन्सट्रक्शन प्रोपराइटर सत्यनारायण पिता केशुराम जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी आसना खेमली स्टेशन, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०) ....प्रतिवादी

उपस्थित–1. श्री कमलेश जैन, अधिवक्ता वादीगण ।

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 29.09.2025

1. वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम विठोली, पटवार हल्का रख्यावल, तहसील घासा, जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 1656/452, 1677/1656 किता 2 कुल रकबा 1.6188 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में हम वादीगण व खातेदार ओमप्रकाश जैन पुत्र केशवलाल जैन प्रत्येक के नाम 1/5 हिस्सा, खातेदार सौरभ पालीवाल पुत्र कृष्ण गोपाल पालीवाल के नाम 2/5 हिस्सानुसार संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज है। उक्त वर्णित कृषि भूमि के हम वादीगण एवं ओमप्रकाश जैन, सौरभ पालीवाल सहखातेदार काश्तकार हैं और कुलिया कृषि भूमियों पर हम सहखातेदार अपने–अपने परिवारजन सहित काबिज होकर निरन्तर बिना किसी बाधा के उपयोग उपभोग कर रहे हैं। हम सहखातेदारों की वाद वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी अथवा अन्य किसी का कोई हक व अधिकार नही है, न ही कोई सरोकार रहा है। लेकिन हम वादीगण एवं अन्य सहखातेदार बाहर [illegible] करने से उसका नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी जो खनन मा[illegible] होकर धनबल एवं भुजबल के

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:20:55 IST
Reason: SelfAttested

आधार पर दादागिरी से हमारी कृषि भूमि को हड़पने की गरज से उक्त वर्णित कृषि भूमि की करीब साढे तीन बीघा कृषि भूमि पर हमारी गैरमौजूदगी में अनाधिकार रूप से प्रवेश करके जबरन अतिक्रमण कर जे०सी०बी एवं अन्य मशीनों से अवैद्य रूप से खनन करवाना शुरू कर अवैध रूप से डम्परो में खनिज एवं मिट्टी भर–भरकर ले जाने लग गया और प्रतिवादी अवैद्य रूप से खनन कर अपने सहयोगियों की मदद से लगभग 20 लाख रूपये कीमत की कई डम्पर से खनिज व मिट्टी के भर कर चोरी कर ले जाने के पश्चात् हम सहखातेदारों को इसकी जानकारी हुई और जानकारी होने के तुरन्त बाद दिनांक 23.06.2025 को हमने एवं अन्य सहखातेदारों ने मौके पर जाकर प्रतिवादी को हमारी उक्त कृषि भूमि पर खनन करने व मिट्टी ले जाने से मना किया और खोदे गये खड्डो को पुनः भरवाकर समतलीकरण कराने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादी नही माना और दादागिरी से हमारी कृषि भूमि पर निरन्तर खनन कराना चालु रखा। खनन के अलावा हमारी कृषि भूमि पर अनेको विशालकाय छायादार हरे वृक्ष थे जिन्हें भी प्रतिवादी ने जे०सी०बी मशीन से उखड़वाकर नष्ट करवा दिये और हमारी कृषि भूमि की सीमाओं पर निर्मित तारबन्दी को अनाधिकृत रूप से तोड़ फोड़ कर हटा दिया। जबकि प्रतिवादी का हमारी इस कृषि भूमि में कोई हक अधिकार नही है और न ही पूर्व में कभी हक अधिकार रहा है। प्रतिवादी के उक्त कृत्य की जानकारी होने व मना करने के बावजूद भी अवैध खनन कार्य बन्द नहीं किये जाने पर सहखातेदार ओमप्रकाश द्वारा दिनांक 23.06.2025 को पुलिस थाना घासा में इस बाबत् रिपोर्ट दर्ज करवाई गई लेकिन प्रतिवादी के प्रभावशाली होने से उसने अवैध खनन कराना चालु रखा हैं। प्रतिवादी द्वारा हमारी कृषि भूमि पर खनन कार्य हेतु न तो हम सहखातेदारों से किसी प्रकार की अनुमति ली है, न ही पूर्व सहखातेदारों से किसी प्रकार की सहमति या स्वीकृति प्राप्त की गई थी। इसलिये हम वादीगण प्रतिवादी के विरूद्ध तत्काल स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराकर खनन कार्य को रूकवाने के अधिकारी हैं और इस आशय की आदेशात्मक निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी है कि प्रतिवादी वादीगण की कृषि भूमि पर अवैध खनन से निर्मित हूवे खड्डो का पुनः समतलीकरण करावे।

2. यह कि हम वादीगण क[illegible] है उक्त वर्णित कृषि भूमि हम वादीगण के सहस्वामित्व आधिपत्य की [illegible] जिसमें प्रतिवादी का कोई हक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:20:55 IST
Reason: SelfAttested

अधिकार नही है फिर भी प्रतिवादी द्वारा नाजायज तरीके से हम सहखातेदारों से एवं पूर्व सहखातेदारों से बिना कोई सहमति व स्वीकृति प्राप्त किये हमारी कृषि भूमि पर जोर जबरदस्ती अवैध खनन करवाना शुरू करवा दिया और लाखों रूपयों का खनिज व मिट्टी अब तक प्रतिवादी अपने सहयोगीयों की मदद से डम्परो में भर–भरकर चोरी कर ले गया है और अभी भी खनन कर खनिज व मिट्टी डम्परों में भरकर ले जा रहा है और मना करने पर भी प्रतिवादी नही मान रहा है। करीब 20 लाख रूपया कीमत के खनिज व मिट्टी खोद कर चोरी कर ले गया हैं और कई वर्ष पुराने विशालकाय हरे वृक्षों को नष्ट कर दिया और बाड़ को नष्ट कर दी और 200 से 300 फीट लम्बी तारबन्दी को तोड़ फोड़ कर गिरा दिया जिससे भी हम वादीगण को काफी आर्थिक नुकसान हुआ है और प्रतिवादीगण द्वारा कराये जा रहे अवैद्य खनन से हमारी कृषि भूमि में बडे–बडे गहरे खड्डे हो गये हैं और कृषि भूमि की उपजाऊता खतम हो गई हैं। प्रतिवादी के कृत्य से मौके पर हर समय अशांति का माहोल बना हुआ होकर किसी भी प्रकार की जनहानि हो सकती है। इसलिये हम वादीगण प्रतिवादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी हैं कि प्रतिवादी वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि के किसी भी भू भाग पर किसी प्रकार से खनन कार्य न तो स्वयं करे, न ही अन्य किसी के मार्फत करावें, कच्चा एवं पक्का निर्माण नहीं करें, वादीगण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचावें, किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, कब्जा नहीं करे, प्रवेश नही करे, किसी प्रकार की मशीनरी नही लगावे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावे। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादी को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नही है। आदेशात्मक निषेधाज्ञा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से हम वादीगण को अतुलनीय अपरिमित क्षति एवं हानी होगी जिसका मूल्याकंन रूपयों पैसो में आंका जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी हम वादीगण के पक्ष में है।

3. यह कि वादीगण को प्रतिवादी के विरूद्ध वाद कारण दिनांक 23.06.2025 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी द्वारा वादगत कृषि भूमि पर जबरन प्रवेश कर खनन कार्य कराकर खनिज व मिट्टी डम्परो में भर–भरकर ले जाने की जानकारी होने पर वादीगण ने मौके पर जाकर प्रतिवादी को इसके लिये मना किया लेकिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:20:55 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी नही माना और लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो गया, तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

4. अंत में निवदेन किया की हम वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की आदेशात्मक निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादी द्वारा अनाधिकृत व अवैध रूप से वादीगण की कृषि भूमि पर खनन किये जाने से वादीगण की कृषि भूमि पर जो खड्डे निर्मित हूवे है उन्हें प्रतिवादी अपने खर्चे से पुनः भरवाकर समतलीकरण करावे और उखडवाये गये वृक्षों के बदले उसी स्थान पर वृक्षारोपण करावें। उक्त वर्णित कृषि भूमि का वादीगण को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, प्रतिवादी किसी भी प्रकार से खनन कार्य न तो स्वयं करे, न ही अन्य के मार्फत करावें, न किसी प्रकार की मशीनरी स्थापित करे, वादीगण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचावें, किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करें, कब्जा नही करे, प्रवेश नही करे, कच्चा/पक्का निर्माण नही करे, वादीगण को नुकसान पहुँचे ऐसा कोई कार्य नही करे, मिट्टी नही ले जावें, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावे, मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें।

5. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। प्रकरण में तनकीयात कायमी की आवश्यकता नही रहने से साक्ष्यवादी प्रारम्भ की गई। साक्ष्यवादी के तहत गवाह पी.डब्ल्यू. 1 वादी स्वयं मोहनलाल जोशी पिता प्रभुलाल ब्राह्मण का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेज मौजा विठोली की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 की खाता संख्या 74 प्रदर्श 1 करवाए गए। खान एवं भू विज्ञान विभाग खनिज भवन उदयपुर की रिपोर्ट प्रदर्श 2, वादग्रस्त भूमि के फोटोग्राफ्स प्रदर्श 3 पेश किए गए। विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया की वादग्रस्त भूमि वादीगण की सहखातेदारी की भूमि है, जिसमें प्रतिवादी का कोई हक हिस्सा निहित नही है। फिर भी प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि पर जबरन बाहुबल से कब्जा कर मिट्टी का खनन कर रहा है। वादीगण को बेदखल कर रहा है। वादी दस्तावेज/साक्ष्य से वाद को साबित करने में सफल रहे। वादी का वाद चाहे गए अनुतोष अनुसार डिक्री किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:20:55 IST
Reason: SelfAttested

6. हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा विठोली पटवार क्षेत्र रख्यावल तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता सं. 74 पर दर्ज आराजी नम्बर 1656/452, 1677/1656 किता 2 कुल रकबा 1.6188 हैक्टेयर भूमि के संबंध में वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा चाही गई है। वादीगण वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार है। जमाबंदी के अवलोकन से प्रतीत होता हैं कि उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी का कोई हक हिस्सा निहित नहीं है। प्रदर्श 3 मौके के फोटोग्राफ्स से स्पष्ट हो रहा है कि वादग्रस्त भूमि पर खनिज एवं मिट्टी का खनन कार्य किया जा रहा है। प्रदर्श 2 के अनुसार खनि अभियन्ता खान एवं भू विज्ञान विभाग खनिज भवन उदयपुर द्वारा भी प्रतिवादी को नोटिस दिया गया, जिसमें भी अंकित किया गया है कि खातेदारी भूमि में सतही अधिकार प्राप्त किया जा चुके है एवं खनन कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सहमति कार्यालय में प्रस्तुत कर दूंगा, परन्तु खनन पट्टेधारी द्वारा खसरा संख्या 1677/1656, 1656/452 के सतही अधिकार प्राप्त किये जाने की सहमति कार्यालय में प्रस्तुत नही की है। अर्थात प्रतिवादी द्वारा खातेदार की अनुमति नही ली गई एवं खनन कार्य शुरू कर दिया गया। न्यायालय का विनम्रतापूर्वक अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि के वादीगण सहखातेदार है। प्रतिवादी का जमाबंदी में कोई हक अधिकार नही है। स्वयं खातेदार वादग्रस्त भूमि में खनन कार्य रूकवाना चाहते है। वादीगण की सहखातेदारी भूमि पर प्रतिवादी को खनन करने का कोई अधिकार नही है। वादीगण वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में प्रतीत होता हैं। वादीगण की सहखातेदारी भूमि से वादीगण को प्रतिवादी जबरन बेदखल कर देता है या खनन कार्य कर सम्पूर्ण भूमि से मिट्टी निकाल लेता है तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी तथा असुविधा का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू वादी के पक्ष में साबित होते हैं क्योंकि प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। अतः उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वादी का वाद आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:20:55 IST
Reason: SelfAttested

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद किया जाता है कि मौजा विठोली पटवार क्षेत्र रख्यावल तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077—80 के खाता सं. 74 पर दर्ज आराजी नम्बर 1656/452, 1677/1656 किता 2 कुल रकबा 1.6188 हैक्टेयर भूमि पर प्रतिवादी जबरन प्रवेश नही करे, उक्त भूमि से मिट्टी एवं खनिज का खनन कार्य नही करें, वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल नही करें, वादीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करें। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:20:55 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला उदयपुर

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. मोहनलाल जोशी पुत्र प्रभुलाल जी जाति ब्राह्मण, उग्र वयस्क, निवासी मकान संख्या 30, ब्राहाणो का गुड़ा बडगांव, उदयपुर शहर, जिला उदयपुर (राज०)
2. विवेक लवानिया पुत्र डॉ बी. के. लवानिया जाति ब्राह्मण, वयस्क, निवासी 327. चरक मार्ग अम्बामाता स्कीम गिर्वा, उदयपुर, जिला उदयपुर (राज०)

.....वादी

बनाम्

1. मैसर्स महाकाल कन्सट्रक्शन प्रोपराइटर सत्यनारायण पिता केशुराम जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी आसना खेमली स्टेशन, तहसील घासा, जिला उदयपुर (राज०) .....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 218/25 (वाद)

GCMS No. : 2025/465

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद किया जाता है कि मौजा विठोली पटवार क्षेत्र रख्यावल तहसील घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता सं. 74 पर दर्ज आराजी नम्बर 1656/452, 1677/1656 किता 2 कुल रकबा 1.6188 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी जबरन प्रवेश नही करे, उक्त भूमि से मिट्टी एवं खनिज का खनन कार्य नही करें, वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल नही करें, वादीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करें। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 29.09.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:20:55 IST
Reason: SelfAttested